न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री प्रमोद कुमार, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 36 / 2023

प्रार्थीगण

1. कोजराजसिंह पुत्र नगसिंह
2. उदयसिंह पुत्र नगसिंह
3. अनिताकंवर पुत्री नगसिंह
4. लीलाकंवर पुत्री नगसिंह
5. जड़ावकंवर पत्नी नगसिंह
6. इन्द्रसिंह पुत्र हीरसिंह
7. छेलसिंह पुत्र हीरसिंह
8. शैतानसिंह पुत्र हीरसिंह
9. हेमसिंह पुत्र हीरसिंह
10. कमलांकंवर पुत्री हीरसिंह
11. गुलाबकंवर पत्नी भेरसिंह
12. रुगनाथसिंह पुत्र भेरसिंह
13. डुगरसिंह पुत्र प्रतापसिंह
14. दलपतसिंह पुत्र प्रतापसिंह
15. शांककंवर पत्नी प्रतापसिंह
16. हड़मतसिंह पुत्र रावतसिंह,

उम्र–व्यसक, जातियान–राजपुत,
निवासी पायलां खुर्द,
तहसील–सिणधरी, जिला–बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1. मलसिंह पुत्र गुलाबसिंह
2. मूलसिंह उर्फ मनोहरसिंह पुत्र गुलाबसिंह
3. भंवरसिंह पुत्र सरदारसिंह
4. दिनेश पुत्र जोगाराम
5. भानाराम पुत्र जोगाराम
6. भोपाराम पुत्र जोगाराम
7. रमेश पुत्र जोगाराम
8. सावलाराम पुत्र जोगाराम
9. किशनाराम पुत्र फगलूराम
10. चौथाराम पुत्र होतीराम
11. जेठाराम पुत्र जामताराम
12. भूराराम पुत्र जामताराम, जातियान–राईका
13. बाबूलाल पुत्र मोडाराम
14. महेन्द्रकुमार पुत्र बाबूलाल
15. पदमाराम पुत्र मोडाराम, जातियान–मेंगवाल
16. आम्बाराम पुत्र लिखमाराम
17. सालूराम पुत्र लिखमाराम
18. ईशराराम पुत्र चेलाराम
19. दीपाराम पुत्र चेलाराम
20. नगाराम पुत्र चेलाराम
21. केशाराम पुत्र गंगदाराम
22. लाखाराम पुत्र गंगदाराम
23. किस्तुराराम पुत्र कुम्पाराम
24. खीमाराम पुत्र कुम्पाराम
25. [illegible] पुत्र कुम्पाराम
26. [illegible] पुत्र कुम्पाराम
27. [illegible] पुत्र वजाराम
28. म[illegible]लाल पुत्र वजाराम
29. लाधाराम पुत्र वजाराम
30. वेहनाराम पुत्र वजाराम
31. हरचन्दराम पुत्र वजाराम
32. चेतनराम पुत्र प्रतापाराम
33. मोहनलाल पुत्र प्रतापाराम

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.07 14:48:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

34 शंकर पुत्र प्रतापाराम
35 पुनमाराम पुत्र पेमाराम
36 भेराराम पुत्र मोतीराम
37 भीखाराम पुत्र नेनाराम
38 सवाराम पुत्र नेनाराम
39 निम्बाराम पुत्र खंगाराराम
जातिगान कलबी निवासी पायला
खुर्द तहसील सिणधरी जिला
बाड़मेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 (वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति–

1. श्री जोगराज पोटलिया, प्रार्थी की ओर से उपस्थित।

2. विप्रार्थीगण एकतरफा।

<u>आदेश</u>

दिनांक 14.12.2023

. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण का खेत मौजा राजस्व ग्राम ...यला खुर्द पटवार हल्का पायला खुर्द में खसरा संख्या 341 रकबा 10.6060 हैक्टेयर ...तेदारी का अवस्थित है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई ... है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये ... सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद ... रहता है। इस कारण प्रार्थीगण ... खेत मौजा राजस्व ग्राम पायला खुर्द पटवार हल्का पायला खुर्द में खसरा संख्या 341 ...ा 10.6060 हैक्टेयर की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु ...ह आवेदन पत्र पेश किया गया

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.07 14:48:13 IST
Reason: SelfAttested

...र्थीगण का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस ... नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का

3.वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए **कथन** किया, कि प्रार्थी के खेत मौजा राजस्व ग्राम पायला खुर्द पटवार हल्का पायला खुर्द मे खसरा संख्या 341 रकबा 10.6060 हैक्टेयर आई हुई है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतो के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माते या सीमा चिन्ह नही होने से आगे दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा मौजा राजस्व ग्राम पायला खुर्द पटवार हल्का पायला खुर्द में खसरा संख्या 341 रकबा 10.6060 हैक्टेयर की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमाये जावे।

4.हमने वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया कि मौजा राजस्व ग्राम पायला खुर्द पटवार हल्का पायला खुर्द में खसरा संख्या 341 रकबा 10.6060 हैक्टेयर प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत 2076–2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है,इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्डेड खातेदार है,और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसके प्रार्थीगण हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती,तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करतें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

5. लिहाजा, प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा राजस्व ग्राम पायला खुर्द पटवार हल्का पायला खुर्द में खसरा संख्या 341 रकबा 10.6060 हैक्टेयर के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 500/प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.07 14:48:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 14.12.2023 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी